| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>30/2018<br>गुरलाल सिंह आदि बनाम करतार सिंह आदि<br>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आरटी एक्ट | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए |
|---|---|---|
| 20819 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। सक्षम तथ्य इस प्रकार है कि वादी गुरलाल सिंह वगैराह ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आरटी एक्ट के तहत् खिलाफ प्रतिवादी करतार सिंह वगैराह प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। लेकिन भूमि को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है। वादीगण के रकबे में प्रतिवादीगण मदालत बेजा नही करे। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के विधिक रूप से हकदार है। चक 38 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु0न0 8 प0न0 275/297 के कि0न0 1–2–9–12–19 सालम, 22/0.229 कुल 1.493 है0 नहरी व इसी चक के मु0न0 15 प0न0 275/298 कि0न0 5–6–15–16–24–25 में 1.518 कुल 3.011 है0 नहरी मय खाला भूमि प्रतिवादी संख्या 1 करतार सिंह पिता सोहन सिंह के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी को वादी गुरलाल सिंह के दादा सोहन सिंह से प्राप्त हुई है। जो पैतृक सम्पति होने के कारण वादी गुरलाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 1ता3 का बराबर–बराबर का हिस्सा है। यानि प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। वादिया जसपाल कौर का हिस्सा वादी की काश्त करता है। प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीप कौर व प्रतिवादी संख्या 3 अमनदीप कौर जिनका 1/4, 1/4 हिस्सा कुल 2/4 हिस्सा प्रतिवादीगण ने अपनी माता जसपाल कौर के हक में दिया हुआ है। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी गुरलाल सिंह का 1/4 हिस्सा, वादिया जसपाल कौर का 2/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 करतार सिंह का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार से वादीगण अपना हक हिस्सा घोषित करवाने के विधिक रूप से हकदार है। दिनांक 04.03.2018 को मुकाम 38 पीएस में प्रतिवादी करतार सिंह को उक्त हिस्से में मदखलअंदाजी करनी चाही। उक्त सम्पूर्ण भूमि मेरे नाम होने से कोई हिस्सा नही दूंगा और जमीन खुर्द–बुर्द कर दूंगा तथा अन्य को बेचान कर देता है तो पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अपने हक व हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगे। यही विनाय दावा मुखास्मत है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार को भूमि होल्डर होने पर पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है। अतः वादीगण का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादी गुरलाल सिंह विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा वादिया जसपाल कौर का 2/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 करतार सिंह को 1/4 हिस्सा चक 38 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु0न0 8 प0न0 275/297 के कि0न0 1–2–9–12–19 सालम, 22/0.229 कुल 1.493 है0 नहरी व इसी चक | (सन्दीप कुमार)<br>खण्ड अधिकारी (राजस्व)<br>रायसिंहनगर |

Scanned by CamScanner

के मु0न0 15 प0न0 275/298 कि0न0 5–6–15–16–24–25 में 1.518 कुल 3.011 है0 नहरी मय खाला भूमि में उपरोक्तानुसार हक घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1ता3 की ओर से श्री सुखदर्शन सिंह वानर अधिवक्ता हाजिर आय। प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया। वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे व कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे व कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में अंकित किया कि व अपना हिस्सा अपनी माता के पक्ष में छोड दिया गया है। पैतृक सम्पति में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती। प्रतिवादी अमनदीप कौर का नाम पीहर में अमनदीप कौर व ससुराल में रूपिन्द्र कौर है। दोनो नाम मुझ प्रतिवादिया के ही है। प्रतिवादी संख्या 04 स्टेट की ओर से राजपैरोकार ने अपने जवाब दावा में कोई विरोध प्रकट नही किया। प्रकरण में विवाद न होने के कारण तनकी कायम नही की गई है।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया। दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों का कोई विरोध प्रकट नही किया।

बहस पक्षकारान पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा चक 38 पीएस की जमाबंदी 2002 व अपने दादा सोहन सिंह के नाम की जमाबंदी प्रस्तुत की है तथा चक 38 पीएस की जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 6/4 के मु0न0 8 के 1.493 है0 नहरी व मु0न0 15 के 1.518 कुल 3.011 है0 नहरी भूमि मय खाला प्रतिवादी करतार सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम खातेदारी प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण को हिस्सा बनता है। वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें हमारा हिस्सा माता जसपाल कौर पक्ष में छोड दिया है। हम कोई हक नही लेना चाहते। वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो कोई ऐतराज नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्योचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादीगण का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि चक 38 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु0न0 8 प0न0 275/297 के कि0न0 1–2–9–12–19 सालम, 22/0.229 कुल 1.493 है0

(संदीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

नहरी व इसी चक के मु0न0 15 प0न0 275/298 कि0न0 5–6–15–16–24–25 में 1.518 कुल 3.011 है0 नहरी मय खाला भूमि प्रतिवादी संख्या 1 करतार सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से दर्ज भूमि में वादी गुरलाल सिंह का 1/4 हिस्सा तथा वादिया जसपाल कौर का 2/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(संदीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner